

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167]

भोपाल, रविवार, दिनांक 10 मई 2020—वैशाख 20, शक 1942

विधि और विधायी (निर्वा.) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 मई 2020

क्र. 10-1-स्था-2020-विनिर्वा-2191.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 154-MP-2020-P. Admn., दिनांक 4 मई 2020 द्वारा श्रीमती वीरा राणा, आई.ए.एस. (एमपी 1988) को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पदस्थ किया गया है। अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है।

दिशा प्रणय नागवंशी, उपसचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई, 2020—14 वैशाख, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं.154 / MP / 2020—P.Admin: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 के 43) की धारा 13—क की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतदद्वारा श्री वी. एल. कान्ताराव, आई.ए.एस. के स्थान पर, श्रीमती वीरा राणा, आई.ए.एस. (एम.पी.: 1988) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्रीमती वीरा राणा मध्य प्रदेश सरकार के अधीन सारी पदगार या किसी कार्य के पदभारों वगे तत्काल सौंप देंगी या धारण करना समाप्त कर देंगी जो कि वह ऐसा पदभार ग्रहण करनें से पहले धारण कर रही थी।
3. श्रीमती वीरा राणा,, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश के रूप में कार्य करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगी सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का प्रधान सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

आदेश से,
हस्ता./—
(बी. सी. पात्रा)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001
New Delhi, Dated 4th May, 2020—14 Vaisakha, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 154/MP/2020-P.Admn. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Madhya Pradesh hereby designates Smt. Veera Rana, IAS (MP: 1988) as the Chief Electoral Officer for the State of Madhya Pradesh with effect from the date she takes over charge and until further orders in place of Shri V. L. Kantha Rao, IAS.

2. Smt. Veera Rana shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Madhya Pradesh, which she may be holding before such assumption of office.

3. Smt. Veera Rana while functioning as the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Madhya Pradesh except that she should be designated Principal Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By. order,
Sd./-
(B. C. PATRA)
Secretary,
Election Commission of India.